

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर


क्रमांक /रीडर/2024/289

दिनांक :- 05/08/24

## आदेश

प्रार्थी की ओर से वकील श्री आनन्द राड ने प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "दावा रिकार्ड दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट में मज में आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, पार्षद वार्ड नं० 29 का प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम हरिपुरा प०ह० लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 69, 202, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम / प०ह० | खाता संख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)          | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|----------|--------------|--------------------------|---|---|
| 1        | हरिपुरा      | 69, 202                  | गणेश पुत्र धन्नाराम<br>गणेशराम पुत्र धन्नाराम | गणेश नारायण उर्फ गणेशराम पुत्र धन्नाराम                       |

  
(गोविन्द सिंह भट्ट)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दिनांक :- 05/08/24

क्रमांक /रीडर/2024/289

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ